प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 185/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add. 66-K, Singhvi house, first floor, indise saheliyon ki bari, Bali, Udaipur

...............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20-01-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329056903663392 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9708633258 दिनांक 24.12.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/185/24/1489-90 दिनांक 24.12.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2024/115 दिनांक 20.01.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.11.2024 को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर तहसील कार्यालय गिर्वा को लिखे गये पत्र क्रमांक 2946 दिनांक 14.07.2009 एवं पत्र क्रमांक 3825 दिनांक 20.07.2009 की सत्यापित प्रति चाही गई है। उक्त आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में तहसीलदार गिर्वा को कार्यालय के पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2024/3731 दिनांक 16.12.2024 से सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया। साथ ही प्रार्थी को भी उपखण्ड कार्यालय गिर्वा में रिकार्ड का अवलोकन हेतु सूचित किया गया, जिसके संबंध में प्रार्थी को आरटीआई पोर्टल पर पत्र प्रेषित कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि "the SPIO/ASPIO not provided the desired details/information and documents et. under RTI Act 2005 within 30 days period as specified in RTI Act. 2005. The transfer of application is permitted by the SPIO/ASPIO within 5 days as per section 6(3) of RTI Act. 2005 if it is closely connected to another SPIO/ASPIO. In the above case the letter was issued by the the SDO Girwa, Udaipur bearing number: ASPIO/2024/3731 dated

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

16.12.2024 to the tehsildar girwa udaipur after a period of 30 days approx. (rti application bearing number: 329516167905851 dated 21.11.2024) for providing of desired details/information and documents etc. Where as time frame period specified in RTI Act. 2005 is only 5 days for transfer of application to another SPIO/ASPIO who seems to be closely connectd for providings of desired details, information and documents etc. AS per under section 6(3) of the RTI Act. 2005. We therefore request your king honour to please admit the appeal and necessary directions/instructions may kindly be given to the SPIO/ASPIO to provide the desired details/informations/documents etc. free of cost. We will glad to submit more details if desired by your kind honour. Your kind immediated action, cooperation adn support would be highly appreciated.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा तहसीलदार गिर्वा को अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिर्वा को जरिये पत्रांक 3731 दिनांक 16.12. 2024 से लिखा गया साथ ही अपीलार्थी को रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु भी लिखा गया।

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा तहसीलदार गिर्वा को दिनांक 16.12.2024 से पत्र प्रेषित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु लिखा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) **"जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है: (1) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित हो; या (2) जिसकी विषय–वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यो से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहां वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदन को तुरंत सूचना देगा; परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"** के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को निश्चित समयावधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी के अंतरित नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर नियमानुसार 15 दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी उपखण्ड कार्यालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने हेतु उपखण्ड कार्यालय गिर्वा में उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन कर वांछित सूचना चिन्हित कर प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर